IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

सहकारी क्षेत्र में लैंगिक समानता

Name-Mamta
Designation-Research scholar
University -CSJMU,kanpur (Uttar Pradesh) D.S.N.P.G.COLLEGE ,UNNAO(UTTAR PRADESH)

सार-

समय स्थिर न होकर हमेशा परिवर्तनशील रहा है। वर्तमान समय में सहकारिता विविध क्षेत्रों में पैर पसारती नजर आ रही है। यह कोई तुरंत उपजा हुआ शब्द नहीं है बल्कि इसका अपना एक लंबा इतिहास रहा है। अब यह जान लेते हैं कि आखिर यह सहकारिता मूल रूप में क्या है ? अर्थात सहकारिता किसे कहते हैं ?

साधारण शब्दों में कहें तो सहकारिता शब्द से आशय **"साथ-साथ मिलकर कार्य करना एवं एक दूसरे का सहयोग करना है।"**

हमारे देश में सहकारिता काफी प्राचीन अवधारणा मानी जाती है ।

सहकारी शब्द लैटिन शब्द Co- Operari से निकला है । जिसमें का अर्थ है 'के साथ' तथा Operari का अर्थ है 'कार्य करना'अर्थात साथ मिलकर कार्य करना।

सामान्यतः ऐसे व्यक्ति जो समान आर्थिक उद्देश्य से की प्राप्ति के लिए मिलजुल कर काम करना चाहते हैं। वे समितियां बना सकते हैं।और वे आर्थिक हितों के लिए कार्य करते हैं। इसे ही सहकारी समिति कहते हैं।

कलबर्ट के शब्दों में सहकारिता की परिभाषा-

"सहकारिता ऐसा संगठन है जिसमें मानव व्यक्ति के रूप में समानता के आधार पर अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए स्वेच्छा से सहयोग करते हैं।"

शास्त्रों में कहा गया है कि -

अल्पानाम अपि वस्तूनाम,
संहति: कार्य साधिका ।।

अर्थात जब छोटी-छोटी चीजें और साधन मिल जाते हैं तो वे महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल करते हैं।

हमारे देश में सहकारिता मंत्रालय का जब से गठन हुआ है। तब से इस सहकारी क्षेत्र में अनेकों महत्वपूर्ण पहलुओं पर अपनी दृष्टि डाली गई है। सहकारिता मंत्रालय के द्वारा आज समय-समय पर अनेकों प्रकार की पहले की जा रही हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण साबित हो रही है।

मुख्य शब्द -सहकारिता, लैंगिक समानता, जागरूकता सशक्तिकरण, भेदभाव ,सामुदायिक मामले।

अब आगे बढ़ने से पहले यह भी जान लेना आवश्यक है कि आखिर लैंगिक समानता किसे कहते हैं तो सामान्यतः लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव न करना लैंगिक समानता का सूचक है। लैंगिक असमानता की समस्या अधिकांशत गांव में अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती है । इससे आशय यह बिल्कुल नहीं की शहरी क्षेत्रों में लैंगिक असमानता की समस्या नहीं है।

महत्वपूर्ण मुद्दे की बात यह है कि क्या हमारे कृषि प्रधान भारत देश में सचमुच लिंग संबंधी भेदभाव में कुछ कमी हुई है। यह बेहिचक कहा जा सकता है कि वास्तव में आज के समाज में काफी हद तक स्त्री -पुरुष के मध्य व्याप्त भेदभाव में कमी देखने को मिली है ।लेकिन इससे पूरी तरह से आज भी निजात नहीं पाया जा सका है ।

हमारे देश में सहकारी समितियां की समय रेखा विविध है इसकी स्थापना मुख्य रूप से गरीब वर्गों के ऋण को कम करने के लिए हुई थी। गरीब वर्ग से आशय सिर्फ पुरुष वर्ग से नहीं बल्कि महिलाओं से भी लिया जाता है।

हमारे देश में स्वतंत्रता के पश्चात महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अनेकों प्रकार की सरकारी योजनाएं और कार्यक्रमों की शुरुआत की गई। हाल ही के दिनों में महिलाएं डेयरी फार्मिंग के क्षेत्र में काफी सक्रिय दिखाई दे रही हैं। इतना ही नहीं कई महिला डेयरी उद्यमी भारत की श्वेत क्रांति के उद्गम स्थल गुजरात में डेयरी उद्योग का आधारभूत स्तंभ रही हैं।

सहकारी तरीका किस हद तक लैंगिक असमानता को दूर करने में सहायक है। यह भी एक गंभीर विचारणीय मुद्दा है। जिस पर हम सबको मिलकर विचार करना अति आवश्यक है। हालिया ।LO द्वारा जारी एक रिपोर्ट में भी इस बात पर एक प्रकाश डाला गया है कि सहकारी समितियों में महिलाएं अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर पा रही हैं। महिलाएं रिपोर्ट करती हैं कि वह नई और अत्यधिक उत्पादन श्रम गतिविधियां करती हैं। और उच्च आय का अर्जन कर रही हैं। साथ ही महिलाओं ने यह भी बताया कि सहकारी समितियों में शामिल होने से घर में निर्णय लेने की क्षमता में भी वृद्धि हुई है। और सामुदायिक मामलों में भी भागीदारी बेहतर हो रही है। सहकारी समितियो ने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों रुपो में महिलाओं की रोजगार तक पहुंच को सुगम और सरल बनाया है। प्रत्यक्ष रूप में सहकारी समितियां महिलाओं की व्यावसायिक पूंजी और बाजारों तक पहुंच को सुविधाजनक बनाकर रोजगार के विविध अवसर उपलब्ध करा रही हैं । महिलाओं को वित्तीय ,कानूनी और विपणन सेवाओं को प्रदान करने में भूमिका निभाती है। महिलाएं इन सहकारी समितियों में सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति भी प्रदान करती हैं।

अप्रत्यक्ष रूप में खाद्य सुरक्षा, वित्त ,स्वास्थ्य सुविधाएं , बच्चों की देखभाल एवं बुजुर्गों की देखभाल जैसे अनेकों क्षेत्र में सहकारी समितियां महिलाओं को सस्ती और सुलभ सेवाएं प्रदान करती हैं। यह समितियां महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण जैसे अनेकों क्षेत्रो में सुधार में योगदान भी करती हैं । सहकारी समितियों के भीतर कार्य करने वाली महिला संघ सदस्यों को उनके हितों की बेहतर पहचान करने, काम की बेहतरी के लिए संगठन और अन्य क्षेत्रों में सहायता प्रदान कर सकती हैं। आज अनेकों पारंपरिक क्षेत्रों में भी सहकारी समितियां मॉडल के रूप में उभरते हुए नजर आ रही हैं।

लैंगिक समानता: चुनौतियां

सहकारी समितियो के अंदर लैंगिक समानता व महिला सशक्तिकरण एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा सकता है। यह भेदभाव महिलाओं को ठेस पहुंचाता रहा है। घर में महिलाओं की भूमिका में पूर्वाग्रह, पितृसत्तात्मक समाज की सोच, कौशल विकास तक पहुंचने में महिलाओं का निरंतर हासिये पर होना। यह सब कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बाधा के रूप में दिखाई देते हैं। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में इस स्थिति में सुधार की काफी झलक देखने को मिली है । फिर भी इसमें संतोषजनक परिवर्तन अभी भी नहीं हो पाए हैं।

हमारे देश में लैंगिक असमानता की वजह से अवसरों में भी असमानता उत्पन्न होती रही है। जिनके प्रभाव दोनों लिंगों पर पड़ता है। लेकिन अफसोस यह है कि अधिक प्रभाव महिलाओं पर ही देखने को मिला है। लैंगिक असमानता की समस्या से छुटकारा पाने के लिए लड़कियों को शिक्षा,कौशल विकास, खेलकूद की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। विकास के सभी पहलुओं में महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी होनी चाहिए महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए सहकारी क्षेत्र में क्षेत्र मौजूद हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है।

हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा जी ने सन 1930 के दशक में 'श्रृंखला की कड़ियां' नामक अपनी पुस्तक प्रकाशित की थी। और उन्होंने उसमें भारतीय परंपरा में व्याप्त विरोधाभासों की बात कही थी।कि जहां एक और स्त्री की पूजा की जाती है, वहीं दूसरी और वह घर में बंदी के समान जीवन बिताती है ।यह कैसा न्याय है?

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी महिलाओं को स्वतंत्रता संग्राम की मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया और पुरुषों को उनके शोषक रीतियों के लिए जिम्मेदार ठहराया।

आचार्य विनोबा भावे कहते हैं कि "स्त्री से जो व्यवहार होता है यदि वह मेरे साथ होता तो मैं विद्रोह कर देता।"

सहकारी समितियां में महिलाओं की भागीदारी में बढ़ाएं भी अनेकों मौजूद हैं-

1- सहकारी शिक्षा एवं प्रशिक्षण की कमी
2-भूमि स्वामित्व संबंधी चुनौतियां
3-ऋण की समस्या
4-जलवायु परिवर्तन के परिणाम
5-निरक्षरता
6-पितृसत्तात्मक सोच
7-जनसंचार माध्यमों द्वारा सहकारी समितियां की खराब छवि इत्यादि।

Indian cooperatives network for women की अध्यक्ष नंदिनी आजाद के शब्दों में "लैंगिक समानता के निर्माण के लिए सहकारिता आदर्श तंत्र है। इन्होंने कहा कि भारत और ताइवान सहकारी क्षेत्र में अपनी क्षमता का दोहन कर सकते हैं। जब विज्ञान ,महिला और सहकारी प्रयास बड़े पैमाने पर समाज में एकजुट हो।"(The Hindu News Paper,15 March ,2024)
सहकारी मॉडल लैंगिक समानता लाता है। और महिलाओं को सशक्त करता है ।कोसेटा (स्पेनिश कनफेडरेशन आफ वर्कर कोऑपरेटिव) द्वारा प्रकाशित एक समाचार लेख में कहा गया की "2022 में 58% संबद्ध कार्यकर्ता सहकारी समितियां महिलाओं द्वारा स्थापित की गई थी। अर्थात इसमें इस बात पर बल दिया गया कि लोकतांत्रिक भागीदारी और सामूहिक प्रबंधन पर आधारित सहकारी कार्य प्रणाली वाणिज्यिक उद्यमो की तुलना में कम लिंग अंतर में योगदान करती हैं।

महिलाओं को स्वयं सहायता समूह और सहकारी संगठन बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।क्योंकि स्वयं सहायता समूहों में महिलाएं एकत्रित होकर के मिलजुल कर अपने कार्यों को एक दिशा प्रदान करती हैं।
साक्षरता व लैंगिक समानता पर विशेष बल दिया जाना चाहिए।
महिला प्रशिक्षण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
क्षमता निर्माण पर कार्य किया जाना चाहिए इत्यादि।
यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत 108 वें स्थान पर था।(UNDP report ,14th March 2024)

निष्कर्ष-

लैंगिक समानता को स्थापित करने के लिए सर्वप्रथम जरूरी है कि महिलाओं को शिक्षित किया जाए। क्योंकि समग्र विकास के लिए महिला शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। महिला शिक्षा के माध्यम से न सिर्फ लैंगिक समानता की स्थापना की जा सकेगी। बल्कि महिला शिक्षा से व्यक्ति और देश दोनों लाभान्वित होंगे। क्योंकि शिक्षा महिलाओं को विशेष कौशल प्रदान कर उन्हें बेहतर नौकरियों के योग्य बनाने का काम करती है। और बिना महिलाओं की शिक्षा के किसी भी देश का मानव विकास सूचकांक बेहतर नहीं हो सकता है। आज काफी हद तक ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। और उन्हें शिक्षा के लिए जागरूक किया जाता है। सहकारी समितियों को चाहिए कि वह ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी-छोटी समितियों का गठन करके सहकारिता के बारे में ग्रामीण जनता को बताएं तथा महिलाओं के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएं, जिस पर महिलाएं अपने छोटे-छोटे कार्यों को एक दिशा प्रदान कर सकें और अपने द्वारा हस्त निर्मित वस्तुओं को प्रस्तुत कर सकें। महिलाओं को विशेष ट प्रशिक्षण दिया जाए। जब तक हमारा समाज महिलाओं को अपने साथ लेकर नहीं चलेगा, तब तक हम किसी भी क्षेत्र में विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं । क्योंकि महिलाएं हमारे देश का सबसे मजबूत और सशक्त पहलू हैं।

किसी भी देश के लोकतंत्र की प्रगति का स्तर महिलाओं के वर्तमान स्तर से पता लगाया जा सकता है। संपत्ति पर समान अधिकार एवं सहभागिता भरे प्रशासन में महिलाओं के साथ न्याय पूरी तरह सुनिश्चित किया जाना चाहिए अर्थात महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।

उपरोक्त अध्ययन के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में लैंगिक समानता आज भी एक चुनौती पूर्ण विषय बनी हुई है। भारत देश में विवाह, तलाक ,उत्तराधिकार और बच्चों के अभिभावात्मक जैसे मुद्दों पर महिलाओं के साथ भेदभाव मौजूद रहा है। तथा हर क्षेत्र में महिलाओं का शोषण किया जाता रहा है। चाहे वह क्षेत्र शिक्षा का हो ,या स्वास्थ्य का हो या उसकी इच्छाओं का हो । लेकिन फिर भी सरकार ने इसके लिए कुछ सुविधाओं का प्रावधान किया है। जैसे 1969 में अनैतिक व्यापार दमन का कानून पारित करना, 1967 में समान मजदूरी कानून पारित करना, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम आदि अनेकों कानून पारित किए हैं । इतना ही नहीं देखा जाए तो महिलाओं को हर क्षेत्र में 33 प्रतिशत आरक्षण भी दिया गया है । परंतु फिर भी यह सोचनीय मुद्दा है ।कि अभी भी महिलाओं की स्थिति में आंशिक सुधार ही हो पाया है। अतः इसके लिए सरकार के साथ साथ समाज, परिवार एवं हम सबको एक साथ मिलकर आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रंथसूची-

1- Advancing Gender equality:The cooperative way:ILO Coop.
2-Okafor Esther,Patronila information,Chikodiri Scholastisca,Role of women cooperative in Agricultural development.
3-Sifa B,Chiyog Dr.Cooperative empowering women and family.
4-PIB news(24 Feb,2024)
5-Unicef report.
6- कुमार आलोक ,सहकारिता से समृद्धि,2021, बुक्स क्लिनिक पब्लिकेशन
7-सिंह कटार, सिसोदिया अनिल ,ग्रामीण विकास:सिद्धांत नीतिय एवं प्रबंधन , सेज पब्लिकेशन
8-आर्य कुमार राकेश, महिला सशक्तिकरण और भारत,डायमंड बुक्स
9-कुमार आलोक,सहकारिता से समृद्धि,बुक्स क्लिनिक पब्लिकेशन 2021
10- बड़ेहरा किरण ,कोरेथ जॉर्ज, ग्रामीण महिला सशक्तिकरण, सेज पब्लिकेशन
11-नारी शक्ति ,योजना ,सितंबर 2021
12- चंद्र ब्रह्मा कुमार जगदीश, महिला सशक्तिकरण
13- नारी शक्ति वंदन ,शिक्षा मंत्रालय।